

न्यायालय-सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया जनपद-कुशीनगर
पीठासीन अधिकारी-(शिरिष पटेल), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP03572

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-1817/2026

सुदामा-बनाम-भोला आदि।

परिवाद सं०-01/2010

धारा-323, 504, 506 भा०दं०सं०,

थाना-पटहेरवा, जनपद-कुशीनगर।

प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र

05.08.2026

आवेदक/अभियुक्त-**कन्हैया** की ओर से परिवाद संख्या-01/2010 धारा-323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना-पटहेरवा, जनपद-कुशीनगर के मामले में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी हाजिर अदालत हैं। अन्त में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का आवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण परिवाद पर आधारित है। अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित है। मामला सात वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। उपरोक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा परिक्षणीय है। अभियुक्त जमानत मुचलका देने को तैयार है। अतः मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना, जमानत का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **कन्हैया** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त अभियुक्त प्रत्येक द्वारा मु० 20,000/रुपये का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र व एक प्रतिभू समान धनराशि का दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक:-05.08.2026

(शिरिष पटेल)

(उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP03572

सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कसया जनपद-कुशीनगर।